मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 26] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 29 जून 2012–आषाढ़ 8, शके 1934

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

मैं, श्रीमती स्मृति नावलेकर पति श्री प्रदीप नावलेकर, निवासी 103, क्लासिक अपार्टमेन्ट राईट टाउन, जबलपुर भातखंडे संगीत महाविद्यालय में व्याख्याता पद पर कार्यरत हूँ. मैंने शपथपत्र प्रस्तुत किया है कि मुझे श्रीमती स्मृति नावलेकर के स्थान पर श्रीमती माया नावलेकर नाम से जाना जावे तथा कार्यालय में श्रीमती माया नावलेकर नाम दर्ज किया जावे.

पुराना नाम :

(स्मृति प्रदीप नावलेकर)

नया नाम :

(माया प्रदीप नावलेकर)

(63–बी.)

CHANGE IN SURNAME

Be it Known to all that my Previous Name PULIN KRISHNA RAY is now changed to PULIN KRISHNA ROY. I, Should therefore be known by my New Name PULIN KRISHNA ROY.

Old Name :

(PULIN KRISHNA RAY)

New Name :

(PULIN KRISHNA ROY)

H. No.81/9B./Saket Nagar,

P.O. H. E.Hospital, Bhopal (M. P.).

(62-B.)

CHANGE Of NAME

Know all persons that I, Kamaldeep Kaur Gill D/o Shri Bakshish Singh Gill now W/o Shri Gurmail Singh Kahlon aged about adult R/o D-1/159, Danish Nagar, Hoshangabad Road, Bhopal has changed my name and surname from Kamaldeep Kaur Gill to Prabhjot Kaur Kahlon and hence forth I shall be known, named and addressed as Prabhjot Kaur Kahlon in all records, deeds and proceedings.

Old Name :

(KAMALDEEP KAUR GILL)

New Name :

(PRABHJOT KAUR KAHLON)

(64-B.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, इन्दौर

(फॉर्म-चार)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम 5 (1) के अन्तर्गत]

''मध्यप्रदेश बिजनेस ट्रेनिंग बोर्ड ट्रस्ट'' कार्यालय 78, स्वास्तिक नगर, एम. ओ. जी. लाईन, इन्दौर मध्यप्रदेश की ओर से आवेदक श्री संदीप पिता पाण्डुरंग पाटिल, निवासी 7, स्वामी इन्स्टीट्यूट, जिला कोर्ट के सामने, जलगांव महाराष्ट्र द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के सम्बन्ध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्त्यार के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

पब्लिक ट्रस्ट का नाम	:	''मध्यप्रदेश बिजनेस ट्रेनिंग बोर्ड ट्रस्ट''.
पता	:	78, स्वास्तिक नगर, एम.ओ.जी. लाईन, इन्दौर, म. प्र.
अचल सम्पत्ति	:	निरंक
चल सम्पत्ति	:	रुपये 1000/- (अक्षरी रुपये एक हजार मात्र)

आज दिनांक 31 मई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

वंदना पराशर,
रजिस्ट्रार.

(272)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, तहसील हुजूर, जिला भोपाल

फॉर्म-4

(नियम 11 देखिये)

प्रकरण क्र. /बी-113/2011-12.

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा-5 (1) पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1952 के नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

समक्षः—रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, तहसील हुजूर, जिला भोपाल.

जैसा कि ''श्री बर्फानी सेवा संस्थान ट्रस्ट'' कार्यालय, ग्राम सिकन्दराबाद ब्लाक फंदा, तहसील हुजूर, जिला भोपाल की ओर से अध्यक्ष अजय त्रिवेदी ने मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत एक आवेदन-पत्र अनुसूची में दर्शाई गई संपत्ति के पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया है.

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन मेरे न्यायालय में मेरे द्वारा दिनांक 25 जून, 2012 को विचार में लिया जायेगा. कोई भी व्यक्ति जो उक्त ट्रस्ट में या सम्पत्ति में हित रखता हो या कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो, लिखित में दो प्रतियों में इस सूचना के प्रकाशन के ''एक माह'' के भीतर प्रस्तुत करें अथवा उक्त दिनांक को मेरे समक्ष में स्वयं या अभिभाषक के माध्यम से या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होकर अपनी लिखित आपत्तियां प्रस्तुत कर सकता है. उपर्युक्त अवधि समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा.

अनुसूची

1.	ट्रस्ट का नाम व पता	..	''श्री बर्फानी सेवा संस्थान ट्रस्ट''. कार्यालय, ग्राम सिकन्दराबाद ब्लाक फंदा, तहसील हुजूर, जिला भोपाल.
2.	चल सम्पत्ति	..	5,100/- (पाँच हजार एक सौ रुपये मात्र).
3.	अचल सम्पत्ति	..	ग्राम सिकन्दराबाद में 1.00 एकड़ भूमि.

(288)

फॉर्म-4

(नियम 11 देखिये)

प्रकरण क्र. /बी-113/2011-12.

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा-5 (1) पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1952 के नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

समक्षः—रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, तहसील हुजूर, जिला भोपाल.

जैसा कि ''श्री विष्णु भवानी सार्वजनिक परमार्थ न्यास'' न्यास कार्यालय का पता प्लाट नम्बर-50 बी. (सी. वी. 40) आकृति एक्जोटिका ग्राम फंदाकला, तहसील हुजूर, जिला भोपाल की ओर से अध्यक्ष श्री विष्णु राजौरिया ने मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत एक आवेदन-पत्र अनुसूची में दर्शाई गई संपत्ति के पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया है.

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन मेरे न्यायालय में मेरे द्वारा दिनांक 12 जुलाई, 2012 को विचार में लिया जायेगा. कोई भी व्यक्ति जो उक्त ट्रस्ट में या सम्पत्ति में हित रखता हो या कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो, लिखित में दो प्रतियों में इस सूचना के प्रकाशन के ''एक माह'' के -भीतर प्रस्तुत करें अथवा उक्त दिनांक को मेरे समक्ष में स्वयं या अभिभाषक के माध्यम से या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होकर अपनी लिखित आपत्तियां प्रस्तुत कर सकता है. उपर्युक्त अवधि समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा.

अनुसूची

1.	ट्रस्ट का नाम व पता	..	"श्री विष्णु भवानी सार्वजनिक परमार्थ न्यास". कार्यालय का पता प्लाट नम्बर 50-बी, (सी. वी. 40) आकृति एक्जोटिका, ग्राम फंदाकला तहसील हुजूर, जिला भोपाल.
2.	चल सम्पत्ति	..	1,00,000/- (एक लाख रुपये मात्र).
3.	अचल सम्पत्ति	..	कुछ नहीं.

जी. पी. माली,
अनुविभागीय अधिकारी एवं दण्डाधिकारी.

(289)

अन्य सूचनाएं

कार्यालय संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय सागर

मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा-15 की उपधारा (3) के अनुसरण में सर्व-साधारण की जानकारी हेतु यह प्रकाशित किया जाता है कि मध्यप्रदेश शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-3-89/32/2011, भोपाल, दिनांक 31 दिसम्बर, 2011 के द्वारा दमोह निवेश क्षेत्र में शामिल किये गये अतिरिक्त ग्रामों के वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर सम्यक्रूप से अंगीकृत किये जाते हैं. इस सूचना की प्रति अधिनियम की धारा-15 (4) के अनुसरण में मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित की जा रही है जो इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगा कि मानचित्र सम्यक्रूप से तैयार तथा अंगीकृत कर लिया गया है.

अनुसूची

(दमोह निवेश क्षेत्र में शामिल किये गये अतिरिक्त ग्रामों की सूची)

1. दमोह खास (पूर्वी) 2. समन्ना रैय्यत वाडी 3. महुआखेड़ा 4. कुंवरपुरा सेतुआ

उक्त अंगीकृत मानचित्र दिनांक 25 जून, 2012 से 30 जून, 2012 तक नगर पालिका परिषद्, दमोह तथा संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, सागर के कार्यालय में शासकीय कार्य दिवसों में सार्वजनिक निरीक्षण हेतु उपलब्ध रहेंगे.

एस. एस. सग्गू,
संयुक्त संचालक.

(274)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति,
द्वारा अध्यक्ष प्राथमिक तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., वड़ागांव,
तहसील नलखेड़ा.
पंजीयन क्रमांक 394, दिनांक 27 नवम्बर, 1986, जिला शाजापुर.

विषय:—मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र.

विषयान्तर्गत निम्न बिन्दुओं के आधार पर क्यों न आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे.—

1. संस्था गत तीन वर्षों से अकार्यशील है तथा कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है.

2. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही है.

इस प्रकार संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी) का उल्लंघन किया गया है.

अतः मैं, आर. के. मालवीय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) एवं सहकारिता विभाग की ज्ञापन क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह अपेक्षा करता हूँ कि इस सूचना-पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र के संबंध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 10 फरवरी, 2012 को कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

यदि उक्त दिनांक अथवा उसके पूर्व संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि आपको उपरोक्त कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं. आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जा सकेगा.

(276)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति,
द्वारा अध्यक्ष महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., ठण्डेडा,
तहसील नलखेडा.
पंजीयन क्रमांक 1869, दिनांक 10 दिसम्बर, 2003 जिला शाजापुर.

विषयः—मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र.

विषयान्तर्गत निम्न बिन्दुओं के आधार पर क्यों न आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे.

1. संस्था गत तीन वर्षों से अकार्यशील है तथा कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है.

2. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही है.

इस प्रकार संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी) का उल्लंघन किया गया है.

अतः मैं, आर. के. मालवीय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) एवं सहकारिता विभाग की ज्ञापन क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह अपेक्षा करता हूँ कि इस सूचना-पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र के संबंध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 10 फरवरी, 2012 को कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

यदि उक्त दिनांक अथवा उसके पूर्व संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि आपको उपरोक्त कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं. आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जा सकेगा.

(276-A)

शाजापुर, दिनांक 24 जनवरी, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

नवीन मत्स्योद्योग सहकारी समिति मर्या., अम्बाछापरा, तहसील आगर, जिला शाजापुर, पंजीयन क्रमांक 975, दिनांक 13 जुलाई, 2008

को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/1650, दिनांक 3 जुलाई, 2009 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक से प्राप्त अन्तिम प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उक्त संस्था में कोई लेना-देना शेष नहीं रहा है.

अतः मैं, आर. के. मालवीय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूं. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 24 जनवरी, 2012 से निगमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 24 जनवरी, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(276-B)

शाजापुर, दिनांक 24 जनवरी, 2012

क्र./परि./11/84.—शारदा महिला सहकारी साख संस्था मर्यादित, शुजालपुर, तहसील शुजालपुर, जिला शाजापुर, पंजीयन क्रमांक 942, दिनांक 19 जून, 2006 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2011/1028, दिनांक 04 अक्टूबर, 2011 द्वारा परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया गया था. संस्था सदस्यों एवं परिसमापक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन का परीक्षण किया गया. प्रतिवेदन के परीक्षण में यह पाया गया कि प्रतिवेदन अनुसार संस्था का अस्तित्व में बना रहना उचित है.

अतः मैं, आर. के. मालवीय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए शारदा महिला सहकारी साख संस्था मर्यादित, शुजालपुर, तहसील शुजालपुर, जिला शाजापुर, पंजीयन क्रमांक 942, दिनांक 19 जून, 2006 का कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2011/1028, दिनांक 04 अक्टूबर, 2011 को निरस्त कर संस्था को पुनर्जीवित करता हूं. कार्य संचालन हेतु तीन माह के लिये निम्नांकित संचालक मण्डल को नामांकित करता हूं :—

क्रमांक	नाम	पद
1	2	3
1.	श्रीमति मधु नेमा पति महेशकुमार नेमा	अध्यक्ष
2.	श्रीमति सरिता नेमा पति संजय कुमार नेमा	उपाध्यक्ष
3.	श्रीमति संगीता नेमा पति गोरीशंकर नेमा	संचालक
4.	श्रीमति शोभा नेमा पति मोहनलाल नेमा	संचालक
5.	श्रीमति रुखमणी नेमा पति मदनलाल नेमा	संचालक
6.	श्रीमति लेखा नेमा पति कैलाश नारायण नेमा	संचालक
7.	श्रीमति सुषमा नेमा पति रामगोविन्द नेमा	संचालक
8.	श्रीमति कामनी नेमा पति कृष्ण कुमार नेमा	संचालक
9.	श्रीमति मीना नेमा पति रोहित कुमार नेमा	संचालक
10.	श्रीमति सुधा नेमा पति शैलकुमार नेमा	संचालक
11.	श्रीमति शिल्पा नेमा पति विपिन कुमार नेमा	संचालक

संस्था को निम्न शर्तों पर पुनर्जीवित किया जाता है.—

1. संस्था के पुराने लाभ-हानि एवं समस्त लेनदारी-देनदारी के निराकरण की जिम्मेदारी संस्था की होगी.
2. नामांकित संचालक मण्डल तीन माह की समयावधि पूर्ण होने के पूर्व आवश्यक रूप से निर्वाचन सम्पन्न कराये.

यह आदेश आज दिनांक 24 जनवरी, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(276-C)

शाजापुर, दिनांक 14 फरवरी, 2012

क्र./परि./12.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, आनंदीखेडी, तहसील मो. बड़ोदिया, जिला शाजापुर, पंजीयन क्रमांक 811, दिनांक 28 फरवरी, 2002 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2011/1024, दिनांक 04 अक्टूबर, 2011 द्वारा परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया गया था. संस्था सदस्यों एवं परिसमापक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन का परीक्षण किया गया. प्रतिवेदन के परीक्षण में यह पाया गया कि प्रतिवेदन अनुसार संस्था का अस्तित्व में बना रहना उचित है.

अतः मैं, आर. के. मालवीय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, आनंदीखेडी, तहसील मो. बड़ोदिया, जिला शाजापुर, पंजीयन क्रमांक 811, दिनांक 28 फरवरी, 2002 का कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2011/1024, दिनांक 04 अक्टूबर, 2011 को निरस्त कर संस्था को पुनर्जीवित करता हूं. कार्य संचालन हेतु तीन माह के लिये निम्नांकित संचालक मण्डल को नामांकित करता हूं :—

क्रमांक	नाम	पद
1	2	3
1.	श्रीमति पुष्पाबाई गिरिराज	अध्यक्ष
2.	श्रीमति धापूबाई रामेश्वर	उपाध्यक्ष
3.	श्रीमति सिद्धीबाई किशनलाल	संचालक
4.	श्रीमति बाजाबाई रोडमल	संचालक
5.	श्रीमति लीलाबाई पीरुलाल	संचालक
6.	श्रीमति सुनिताबाई सुरेशचन्द्र	संचालक
7.	श्रीमति लीलाबाई पुखराज	संचालक
8.	श्रीमति शांतिबाई लेखराम	संचालक
9.	श्रीमति कृष्णाबाई त्रिलोकचन्द्र	संचालक

संस्था को निम्न शर्तों पर पुनर्जीवित किया जाता है.—

1. संस्था के पुराने लाभ-हानि एवं समस्त लेनदारी-देनदारी के निराकरण की जिम्मेदारी संस्था की होगी.
2. नामांकित संचालक मण्डल तीन माह की समयावधि पूर्ण होने के पूर्व आवश्यक रूप से निर्वाचन सम्पन्न कराये.

यह आदेश आज दिनांक 14 फरवरी, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

आर. के. मालवीय,
उप-आयुक्त (सहकारिता एवं उप-पंजीयक).

(276-D)

कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता एवं उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69, 70, 71 के अन्तर्गत)

देवश्री फल, साग-सब्जी उत्पा. सह. संस्था मर्या., मुरम्यां तहसील सोनकच्छ, जिला देवास जिसका पंजीयन क्रमांक 959, दिनांक 11 जुलाई, 2001 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र.233, दिनांक 18 जनवरी, 2012 को प्रेषित किया गया था तथा उनका प्रतिउत्तर देने हेतु दिनांक 10 फरवरी, 2012 तक का समय दिया गया था. समयावधि के समाप्त हो जाने के उपरान्त भी आज दिनांक 8 मई, 2012 तक संस्था की ओर से कोई संतोषजनक जवाब प्राप्त नहीं हुआ है और न ही स्वयं उपस्थित हुए हैं तथा मेरे मत से संस्था निष्क्रिय है एवं उन्हें परिसमापन में लाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, के. एन. त्रिपाठी, उप-आयुक्त, सहकारिता एवं उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाए, जिला देवास मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99-पन्द्रह-1-बी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझमें वेष्ठित हैं, का उपयोग करते हुए उक्त सहकारी संस्था को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूं तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री आई. एम. कुरेशी, उप-अंकेक्षक, देवास को परिसमापक नियुक्त करता हूं. आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेश किया जाता है कि श्री आई. एम. कुरेशी, उप-अंकेक्षक परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

(269-E)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69, 70, 71 के अन्तर्गत)

कुलदीप साख. सह. स. मर्या., देवास, तहसील देवास, जिला देवास जिसका पंजीयन क्रमांक 869, दिनांक 5 नवम्बर, 1999 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र. 240 , दिनांक 18 जनवरी, 2012 को प्रेषित किया गया था तथा उनका प्रतिउत्तर देने हेतु दिनांक 10 फरवरी, 2012 तक का समय दिया गया था. समयावधि के समाप्त हो जाने के उपरान्त भी आज दिनांक 5 मई, 2012 तक संस्था की ओर से कोई संतोषजनक जवाब प्राप्त नहीं हुआ है और न ही स्वयं उपस्थित हुए हैं तथा मेरे मत से संस्था निष्क्रिय है एवं उन्हें परिसमापन में लाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, के. एन. त्रिपाठी, उप-आयुक्त, सहकारिता एवं उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाए, जिला देवास मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99-पन्द्रह-1-बी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझमें वेष्ठित हैं, का उपयोग करते हुए उक्त सहकारी संस्था को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूं तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री विवेक व्यास, उप-अंकेक्षक देवास को परिसमापक नियुक्त करता हूं. आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेश किया जाता है कि श्री विवेक व्यास, उप-अंकेक्षक, परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

(269-F)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69, 70, 71 के अन्तर्गत)

तिलहन उत्पादक सह. संस्था मर्या., कैलोद, तहसील देवास, जिला देवास जिसका पंजीयन क्रमांक 389, दिनांक 3 मई, 1981 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र. 242 , दिनांक 18 जनवरी, 2012 को प्रेषित किया गया था तथा उनका प्रतिउत्तर देने हेतु दिनांक 10 फरवरी, 2012 तक का समय दिया गया था. समयावधि के समाप्त हो जाने के उपरान्त भी आज दिनांक 7 मई, 2012 तक संस्था की ओर से कोई संतोषजनक जवाब प्राप्त नहीं हुआ है और न ही स्वयं उपस्थित हुए हैं तथा मेरे मत से संस्था निष्क्रिय है एवं उन्हें परिसमापन में लाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, के. एन. त्रिपाठी, उप-आयुक्त, सहकारिता एवं उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाए, जिला देवास मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99-पन्द्रह-1-बी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझमें वेष्ठित हैं, का उपयोग करते हुए उक्त सहकारी संस्था को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूं तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री बी. एल. सोलंकी, वरि. सहकारी निरीक्षक देवास को परिसमापक नियुक्त करता हूं. आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेश किया जाता है कि श्री बी. एल. सोलंकी, वरि. सहकारी निरीक्षक परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

(269-G)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69, 70, 71 के अन्तर्गत)

सांवरिया सेठ यातायात सहकारी संस्था मर्या., चिडावद, तहसील टोंकखुर्द, जिला देवास जिसका पंजीयन क्रमांक 749, दिनांक 16 सितम्बर, 1991 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र. 234, दिनांक 18 जनवरी, 2012 को प्रेषित किया गया था तथा उनका प्रतिउत्तर देने हेतु दिनांक 10 फरवरी, 2012 तक का समय दिया गया था. समयावधि के समाप्त हो जाने के उपरान्त भी आज दिनांक 8 मई, 2012 तक संस्था की ओर से कोई संतोषजनक जवाब प्राप्त नहीं हुआ है और न ही स्वयं उपस्थित हुए हैं तथा मेरे मत से संस्था निष्क्रिय है एवं उन्हें परिसमापन में लाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, के. एन. त्रिपाठी, उप-आयुक्त, सहकारिता एवं उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99-पन्द्रह-1-बी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझमें वेष्ठित हैं, का उपयोग करते हुए उक्त सहकारी संस्था को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूं तथा साथ ही धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्री आर. एस. ठाकुर, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक देवास को परिसमापक नियुक्त करता हूं. आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेश किया जाता है कि श्री आर. एस. ठाकुर, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

(269-H)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69, 70, 71 के अन्तर्गत)

शिवाजी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., देवास, तहसील देवास, जिला देवास जिसका पंजीयन क्रमांक 372, दिनांक 1 दिसम्बर, 1980 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र. 244, दिनांक 18 जनवरी, 2012 को प्रेषित किया गया था तथा उनका प्रतिउत्तर देने हेतु दिनांक 10 फरवरी, 2012 तक का समय दिया गया था. समयावधि के समाप्त हो जाने के उपरान्त भी आज दिनांक 14 मई, 2012 तक संस्था की ओर से कोई संतोषजनक जवाब प्राप्त नहीं हुआ है और न ही स्वयं उपस्थित हुए हैं तथा मेरे मत से संस्था निष्क्रिय है एवं उन्हें परिसमापन में लाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, के. एन. त्रिपाठी, उप-आयुक्त, सहकारिता एवं उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99-पन्द्रह-1-बी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझमें वेष्ठित हैं, का उपयोग करते हुए उक्त सहकारी संस्था को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूं तथा साथ ही धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्री पी. एस. निंगवाल, सहकारी निरीक्षक देवास को परिसमापक नियुक्त करता हूं. आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेश किया जाता है कि श्री पी. एस. निंगवाल, सहकारी निरीक्षक परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

(271)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69, 70, 71 के अन्तर्गत)

अग्रसेन गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., देवास, तहसील देवास, जिला देवास जिसका पंजीयन क्रमांक 36, दिनांक 4 सितम्बर, 1979 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र. 325, दिनांक 24 जनवरी, 2012 को प्रेषित किया गया था तथा उनका प्रतिउत्तर देने हेतु दिनांक 17 फरवरी, 2012 तक का समय दिया गया था. समयावधि के समाप्त हो जाने के उपरान्त भी आज दिनांक 8 मई, 2012 तक संस्था की ओर से कोई संतोषजनक जवाब प्राप्त नहीं हुआ है और न ही स्वयं उपस्थित हुए हैं तथा मेरे मत से संस्था निष्क्रिय है एवं उन्हें परिसमापन में लाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, के. एन. त्रिपाठी, उप-आयुक्त, सहकारिता एवं उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99-पन्द्रह-1-बी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझमें वेष्ठित हैं, का उपयोग करते हुए उक्त सहकारी संस्था को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूं तथा साथ ही धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्री बी. एल. गोठवाल, सहकारी निरीक्षक देवास को परिसमापक नियुक्त करता हूं. आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेश किया जाता है कि श्री बी. एल. गोठवाल, सहकारी निरीक्षक परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

(271-A)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69, 70, 71 के अन्तर्गत)

जी. जी. इंजीनियरिंग गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., देवास, तहसील देवास, जिला देवास जिसका पंजीयन क्रमांक 341, दिनांक 20 मार्च, 1980 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र 243, दिनांक 18 जनवरी, 2012 को प्रेषित किया गया था तथा उनका प्रतिउत्तर देने हेतु दिनांक 10 फरवरी, 2012 तक का समय दिया गया था. समयावधि के समाप्त हो जाने के उपरान्त भी आज दिनांक 8 मई, 2012 तक संस्था की ओर से कोई संतोषजनक जवाब प्राप्त नहीं हुआ है और न ही स्वयं उपस्थित हुए हैं तथा मेरे मत से संस्था निष्क्रिय है एवं उन्हें परिसमापन में लाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, के. एन. त्रिपाठी, उप-आयुक्त, सहकारिता एवं उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99-पन्द्रह-1-बी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझमें वेष्ठित हैं, का उपयोग करते हुए उक्त सहकारी संस्था को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूं तथा साथ ही धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्री आर. एस. ठाकुर, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक देवास को परिसमापक नियुक्त करता हूं. आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेश किया जाता है कि श्री आर. एस. ठाकुर, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

(271-B)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69, 70, 71 के अन्तर्गत)

तिलक गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., देवास, तहसील देवास, जिला देवास जिसका पंजीयन क्रमांक 26, दिनांक 8 जुलाई, 1975 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र 322, दिनांक 24 जनवरी, 2012 को प्रेषित किया गया था तथा उनका प्रतिउत्तर देने हेतु दिनांक 17 फरवरी, 2012 तक का समय दिया गया था. समयावधि के समाप्त हो जाने के उपरान्त भी आज दिनांक 14 मई, 2012 तक संस्था की ओर से कोई संतोषजनक जवाब प्राप्त नहीं हुआ है और न ही स्वयं उपस्थित हुए हैं तथा मेरे मत से संस्था निष्क्रिय है एवं उन्हें परिसमापन में लाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, के. एन. त्रिपाठी, उप-आयुक्त, सहकारिता एवं उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99-पन्द्रह-1-बी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझमें वेष्ठित हैं, का उपयोग करते हुए उक्त सहकारी संस्था को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूं तथा साथ ही धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्री एम. के. कैथवास, सहकारी निरीक्षक देवास को परिसमापक नियुक्त करता हूं. आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेश किया जाता है कि श्री एम. के. कैथवास, सहकारी निरीक्षक परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

(271-C)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69, 70, 71 के अन्तर्गत)

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रनायर गाड़री, तहसील टोंकखुर्द, जिला देवास जिसका पंजीयन क्रमांक 1174, दिनांक 10 मार्च, 2007 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र 225, दिनांक 18 जनवरी, 2012 को प्रेषित किया गया था तथा उनका प्रतिउत्तर देने हेतु दिनांक 10 फरवरी, 2012 तक का समय दिया गया था. समयावधि के समाप्त हो जाने के उपरान्त भी आज दिनांक 22 मई, 2012 तक संस्था की ओर से कोई संतोषजनक जवाब प्राप्त नहीं हुआ है और न ही स्वयं उपस्थित हुए हैं तथा मेरे मत से संस्था निष्क्रिय है एवं उन्हें परिसमापन में लाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, के. एन. त्रिपाठी, उप-आयुक्त, सहकारिता एवं उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99-पन्द्रह-1-बी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझमें वेष्ठित हैं, का उपयोग करते हुए उक्त सहकारी संस्था को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूं तथा साथ ही धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्री एम. आर. शेख, पर्यवेक्षक, दुग्ध संघ, मांगल्या देवास को परिसमापक नियुक्त करता हूं. आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेश किया जाता है कि श्री एम. आर. शेख, पर्यवेक्षक, परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

(271-D)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69, 70, 71 के अन्तर्गत)

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कलमा, तहसील टोंकखुर्द, जिला देवास जिसका पंजीयन क्रमांक 279, दिनांक 16 सितम्बर, 1976 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र 209, दिनांक 18 जनवरी, 2012 को प्रेषित किया गया था तथा उनका प्रतिउत्तर देने हेतु दिनांक 10 फरवरी, 2012 तक का समय दिया गया था. समयावधि के समाप्त हो जाने के उपरान्त भी आज दिनांक 22 मई, 2012 तक संस्था की ओर से कोई संतोषजनक जवाब प्राप्त नहीं हुआ है और न ही स्वयं उपस्थित हुए हैं तथा मेरे मत से संस्था निष्क्रिय है एवं उन्हें परिसमापन में लाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, के. एन. त्रिपाठी, उप-आयुक्त, सहकारिता एवं उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99-पन्द्रह-1-बी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझमें वेष्ठित हैं, का उपयोग करते हुए उक्त सहकारी संस्था को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूं तथा साथ ही धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्री एम. आर. शेख, पर्यवेक्षक, इन्दौर दुग्ध संघ देवास को परिसमापक नियुक्त करता हूं. आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेश किया जाता है कि श्री एम. आर. शेख, पर्यवेक्षक, इन्दौर दुग्ध संघ परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

के. एन. त्रिपाठी,
उप-पंजीयक.

(271-E)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला अशोकनगर

अशोकनगर, दिनांक 9 मार्च, 2012

क्र./परि./2012/155.—तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रांवसर, पंजीयन क्रमांक 802, दिनांक 24 नवम्बर, 1995 कार्यालयीन आदेश क्रमांक 95, दिनांक 10 अगस्त, 2010 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक द्वारा विधिवत् कार्यवाही सम्पन्न कर संस्था की लेनदारी-देनदारी समाप्त की जाकर अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की है एवं संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने हेतु अनुशंसा की है.

अतः मैं, अनुभा सूद, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, अशोकनगर, मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा-(18) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 तथा मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग

की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2010-पन्द्रह-1 बी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रांवसर का आदेश जारी करने के दिनांक से पंजीयन निरस्त करती हूँ.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

(270)

अशोकनगर, दिनांक 9 मार्च, 2012

क्र./परि./2012/155.—तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., करैयाराय, पंजीयन क्रमांक 818, दिनांक 20 दिसम्बर, 1995 कार्यालयीन आदेश क्रमांक 95, दिनांक 10 अगस्त, 2010 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक द्वारा विधिवत् कार्यवाही सम्पन्न कर संस्था की लेनदारी-देनदारी समाप्त की जाकर अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की है एवं संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने हेतु अनुशंसा की है.

अत: मैं, अनुभा सूद, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, अशोकनगर, मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा-(18) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 तथा मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2010-पन्द्रह-1 बी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., करैयाराय का आदेश जारी करने के दिनांक से पंजीयन निरस्त करती हूँ.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

(270-A)

अशोकनगर, दिनांक 15 मार्च, 2012

क्र./परि./2012/163.—फ्रन्टियर रिफ्यूजी बहु. सहकारी संस्था मर्या., अशोकनगर, पंजीयन क्रमांक 574, दिनांक 31 मार्च, 1949 कार्यालयीन आदेश क्रमांक 93, दिनांक 10 अगस्त, 2010 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक द्वारा विधिवत् कार्यवाही सम्पन्न कर संस्था की लेनदारी-देनदारी समाप्त की जाकर अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की है एवं संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने हेतु अनुशंसा की है.

अत: मैं, अनुभा सूद, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, अशोकनगर, मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा-(18) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 तथा मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2010-पन्द्रह-1 बी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए फ्रन्टियर रिफ्यूजी बहु. सहकारी संस्था मर्या., अशोकनगर का आदेश जारी करने के दिनांक से पंजीयन निरस्त करती हूँ.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

(270-B)

अशोकनगर, दिनांक 15 मार्च, 2012

क्र./परि./2012/164.—यादव मछुआ सहकारी संस्था मर्या., अमाही पंजीयन क्रमांक 1007, दिनांक 31 मार्च, 2004 कार्यालयीन आदेश क्रमांक 93, दिनांक 18 अगस्त, 2010 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक द्वारा विधिवत् कार्यवाही सम्पन्न कर संस्था की लेनदारी-देनदारी समाप्त की जाकर अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की है एवं संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने हेतु अनुशंसा की है.

अत: मैं, अनुभा सूद, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, अशोकनगर, मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा-(18) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 तथा मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2010-पन्द्रह-1 बी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यादव मछुआ सहकारी संस्था मर्या., अमाही का आदेश जारी करने के दिनांक से पंजीयन निरस्त करती हूँ.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

(270-C)

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सेजी, पंजीयन क्रमांक 839, दिनांक 30 सितम्बर, 1996 कार्यालयीन आदेश क्रमांक 98, दिनांक 10 अगस्त, 2010 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक द्वारा विधिवत् कार्यवाही सम्पन्न कर संस्था की लेनदारी-देनदारी समाप्त की जाकर अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की है एवं संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने हेतु अनुशंसा की है.

अतः मैं, अनुभा सूद, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, अशोकनगर, मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा-(18) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 तथा मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2010-पन्द्रह-1 बी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सेजी का आदेश जारी करने के दिनांक से पंजीयन निरस्त करती हूँ.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

(270-D)

हरिजन आदिवासी बहु. सहकारी संस्था मर्या., चन्देरी, पंजीयन क्रमांक 425, दिनांक 24 फरवरी, 1991 कार्यालयीन आदेश क्रमांक 93, दिनांक 10 अगस्त, 2010 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक द्वारा विधिवत् कार्यवाही सम्पन्न कर संस्था की लेनदारी-देनदारी समाप्त की जाकर अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की है एवं संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने हेतु अनुशंसा की है.

अतः मैं, अनुभा सूद, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, अशोकनगर, मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा-(18) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 तथा मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2010-पन्द्रह-1 बी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरिजन आदिवासी बहु. सहकारी संस्था मर्या., चन्देरी का आदेश जारी करने के दिनांक से पंजीयन निरस्त करती हूँ.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

(270-E)

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पहाड़ा, पंजीयन क्रमांक 845, दिनांक 30 मार्च, 1996 कार्यालयीन आदेश क्रमांक 98, दिनांक 10 अगस्त, 2010 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक द्वारा विधिवत् कार्यवाही सम्पन्न कर संस्था की लेनदारी-देनदारी समाप्त की जाकर अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की है एवं संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने हेतु अनुशंसा की है.

अतः मैं, अनुभा सूद, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, अशोकनगर, मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा-(18) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 तथा मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2010-पन्द्रह-1 बी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पहाड़ा का आदेश जारी करने के दिनांक से पंजीयन निरस्त करती हूँ.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

(270-F)

शक्ति पुंज महिला बहु. सहकारी संस्था मर्या., सावन, पंजीयन क्रमांक 1068, दिनांक 26 अगस्त, 2005 कार्यालयीन आदेश क्रमांक 98, दिनांक 10 अगस्त, 2010 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक द्वारा विधिवत् कार्यवाही सम्पन्न कर संस्था की लेनदारी-देनदारी समाप्त की जाकर अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की है एवं संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने हेतु अनुशंसा की है.

अतः मैं, अनुभा सूद, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, अशोकनगर, मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा-(18) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 तथा मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2010-पन्द्रह-1 बी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए शक्ति पुंज महिला बहु. सहकारी संस्था मर्या., सावन का आदेश जारी करने के दिनांक से पंजीयन निरस्त करती हूँ.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

(270-G)

शक्ति पुंज महिला बहु. सहकारी संस्था मर्या., सिरसी पछार, पंजीयन क्रमांक 1056, दिनांक 9 जून, 2005 कार्यालयीन आदेश क्रमांक 95, दिनांक 10 अगस्त, 2010 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक द्वारा विधिवत् कार्यवाही सम्पन्न कर संस्था की लेनदारी-देनदारी समाप्त की जाकर अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की है एवं संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने हेतु अनुशंसा की है.

अतः मैं, अनुभा सूद, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, अशोकनगर, मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा-(18) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 तथा मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2010-पन्द्रह-1 बी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए शक्ति पुंज महिला बहु. सहकारी संस्था मर्या., सिरसी पछार का आदेश जारी करने के दिनांक से पंजीयन निरस्त करती हूँ.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

(270-H)

अशोकनगर, दिनांक 30 दिसम्बर, 2011

क्र./परि./20/566.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., फरदाई, पंजीयन क्रमांक 837, दिनांक 30 मार्च, 1996 कार्यालयीन आदेश क्रमांक 96, दिनांक 10 अगस्त, 2010 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक द्वारा विधिवत् कार्यवाही सम्पन्न कर संस्था की लेनदारी देनदारी समाप्त की जाकर अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की है एवं संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने हेतु अनुशंसा की है.

अतः मैं, अनुभा सूद, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, अशोकनगर, मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा-(18) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 तथा मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2010-पन्द्रह-1 बी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., फरदाई का आदेश जारी करने के दिनांक से पंजीयन निरस्त करती हूँ.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

(270-I)

अशोकनगर, दिनांक 30 दिसम्बर, 2011

क्र./परि./20/567.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बरखेड़ा गौड़, पंजीयन क्रमांक 847, दिनांक 30 मार्च, 1996 कार्यालयीन आदेश क्रमांक 89, दिनांक 16 मार्च, 2011 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक द्वारा विधिवत् कार्यवाही सम्पन्न कर संस्था की लेनदारी देनदारी समाप्त की जाकर अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की है एवं संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने हेतु अनुशंसा की है.

अतः मैं, अनुभा सूद, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, अशोकनगर, मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा-(18) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 तथा मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2010-पन्द्रह-1 बी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बरखेड़ा गौड़ का आदेश जारी करने के दिनांक से पंजीयन निरस्त करती हूँ.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

(270-J)

अशोकनगर, दिनांक 30 दिसम्बर, 2011

क्र./परि./20/568.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सेमरी शाहबाद, पंजीयन क्रमांक 833, दिनांक 30 मार्च, 1996 कार्यालयीन आदेश क्रमांक 96, दिनांक 10 अगस्त, 2010 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक द्वारा विधिवत् कार्यवाही सम्पन्न कर संस्था की लेनदारी-देनदारी समाप्त की जाकर अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की है एवं संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने हेतु अनुशंसा की है.

अतः मैं, अनुभा सूद, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, अशोकनगर, मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा-(18) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 तथा मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग

की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2010-पन्द्रह-1 बी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सेमरी शाहबाद का आदेश जारी करने के दिनांक से पंजीयन निरस्त करती हूँ.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

(270-K)

इन्दिरा गांधी मछुहा सहकारी समिति मर्या., रामनगर चंदेरी, पंजीयन क्रमांक 1129, दिनांक 30 अप्रैल, 2008 परिसमापन अन्तर्गत रही है. कार्यालयीन आदेश क्रमांक 812, दिनांक 30 जून, 2010 से श्री एम. के. जैन, उप-अंकेक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया था. श्री एम. के. जैन, उप-अंकेक्षक एवं संस्था परिसमापक द्वारा संस्था की आमसभा दिनांक 5 मार्च, 2012 के क्रम में संस्था को पुनर्जीवित किये जाने का प्रस्ताव मय कार्ययोजना के प्रस्तुत किया गया है.

परिसमापक द्वारा प्रस्तुत कार्ययोजना के आधार पर संस्था के पुनर्जीवन के प्रस्ताव से सहमत होते हुए मैं, अनुभा सूद, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, अशोकनगर मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अन्तर्गत इन्दिरा गांधी मछुआ सहकारी समिति मर्या., रामनगर चंदेरी को पुनर्जीवत कर संस्था के कार्य संचालन के लिए संस्था की आमसभा द्वारा पारित प्रस्ताव अनुसार निम्नानुसार प्रबंधकारिणी समिति आगामी तीन माह के लिए नामांकित करती हूँ.—

क्र.	नाम सदस्य	पद
1.	श्री महबूब खां पुत्र श्री गफूर खां	अध्यक्ष
2.	श्री हबीब खां पुत्र श्री सरदार खां	उपाध्यक्ष
3.	श्री मूलचंद पुत्र कन्हैयाराम	संचालक
4.	श्री रामप्रसाद पुत्र श्री मंगल	संचालक
5.	श्री थोबन पुत्र श्री रज्जूलाल	संचालक
6.	श्री इकबाल खां पुत्र श्री वली मोहम्मद	संचालक
7.	श्री रमेश कुमार पुत्र श्री भूमनलाल	संचालक
8.	श्री घन्सा पुत्र श्री कन्ना	संचालक
9.	श्री रसीद खां पुत्र श्री गफूर खां	संचालक
10.	श्रीमती फिरोज बानो पत्नी श्री महबूब खां	संचालक
11.	श्रीमती सन्नों बानों पत्नी श्री रसीद खां	संचालक

यह आदेश आज दिनांक 10 मई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया. उक्त आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

अनुभा सूद,
उप-पंजीयक.

(270-L)

कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता एवं उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69, 70, 71 के अन्तर्गत)

महिला वन श्रमिक सह. संस्था मर्या., देवास, तहसील देवास, जिला देवास जिसका पंजीयन क्रमांक 257, दिनांक 5 जुलाई, 1974 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र.232, दिनांक 18 जनवरी, 2012 को प्रेषित किया गया था तथा उनका प्रतिउत्तर देने हेतु दिनांक 10 फरवरी, 2012 तक का समय दिया गया था. समयावधि के समाप्त हो जाने के उपरान्त

भी आज दिनांक 5 मई, 2012 तक संस्था की ओर से कोई संतोषजनक जवाब प्राप्त नहीं हुआ है और न ही स्वयं उपस्थित हुए हैं तथा मेरे मत से संस्था निष्क्रिय है एवं उन्हें परिसमापन में लाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, के. एन. त्रिपाठी, उप-आयुक्त, सहकारिता एवं उप-पंजीयक सहकारी संस्थाए, जिला देवास मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99-पन्द्रह-1-बी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझमें वेष्ठित हैं, का उपयोग करते हुए उक्त सहकारी संस्था को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूं तथा साथ ही धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्री विनोद कुमार गोसाई, उप-अंकेक्षक देवास को परिसमापक नियुक्त करता हूं. आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेश किया जाता है कि श्री विनोद कुमार गोसाई, उप-अंकेक्षक परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

(277)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69, 70, 71 के अन्तर्गत)

दीप को-ऑप. प्रिंन्टिग प्रेस लि. देवास, तहसील देवास, जिला देवास जिसका पंजीयन क्रमांक 866, दिनांक 19 अगस्त, 1998 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र. 236 , दिनांक 18 जनवरी, 2012 को प्रेषित किया गया था तथा उनका प्रतिउत्तर देने हेतु दिनांक 10 फरवरी, 2012 तक का समय दिया गया था. समयावधि के समाप्त हो जाने के उपरान्त भी आज दिनांक 5 मई, 2012 तक संस्था की ओर से कोई संतोषजनक जवाब प्राप्त नहीं हुआ है और न ही स्वयं उपस्थित हुए हैं तथा मेरे मत से संस्था निष्क्रिय है एवं उन्हें परिसमापन में लाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, के. एन. त्रिपाठी, उप-आयुक्त, सहकारिता एवं उप-पंजीयक सहकारी संस्थाए, जिला देवास मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99-पन्द्रह-1-बी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझमें वेष्ठित हैं, का उपयोग करते हुए उक्त सहकारी संस्था को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूं तथा साथ ही धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्री विनोद कुमार गोसाई, उप-अंकेक्षक देवास को परिसमापक नियुक्त करता हूं. आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेश किया जाता है कि श्री विनोद कुमार गोसाई, उप-अंकेक्षक परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

के. एन. त्रिपाठी,
उप-पंजीयक.

(277-A)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2012.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 26] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 29 जून 2012-आषाढ़ 8, शके 1934

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 14 मार्च, 2012

1. **मौसम एवं वर्षा.**—राज्य में इस सप्ताह आकाश मेघाच्छादित रहा है तथा राज्य के कुछ ही जिलों में वर्षा हुई है, जो निम्नानुसार है :—

(अ) 0.1 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक.—तहसील जिला दमोह (दमोह), रघुराजनगर, उचेहरा, मैहर (सतना), त्यौंथर, सिरमौर, हनुमना, हजूर, गुढ़, रायपुरकर्चुलियान (रीवा), बांधवगढ़ (उमरिया), गोपदबनास, सिंहावल, कुसमी, चुरहट, रामपुरनैकिन (सीधी), जबलपुर (जबलपुर), कटनी, रीठी (कटनी) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

2. **जुताई.**—जिला प. निमाड़, बड़वानी में जुताई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

3. **बोनी.**— . .

4. **फसल स्थिति.**— . .

5. **कटाई.**—जिला पूर्व निमाड़ में फसल गेहूँ व रायसेन, होशंगाबाद में चना, डिण्डोरी में मसूर, मटर, दमोह में चना, मटर, मसूर व भोपाल में गेहूँ, चना व मसूर, कटनी में मसूर, अलसी, मटर व पन्ना में मसूर, अलसी, राई-सरसों, अरहर, अनूपपुर में राई-सरसों, मटर, मसूर व बैतूल में गेहूँ, चना, मटर, मसूर, गन्ना व नीमच में सोयाबीन, मक्का, उड़द, ज्वार, मूंगफली, तिल, गेहूँ, चना, राई-सरसों तथा धार, इन्दौर, सीहोर, हरदा, मण्डला, सिवनी में रबी फसल की कटाई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

6. **सिंचाई.**—जिला ग्वालियर, सतना, शहडोल, सिंगरौली, झाबुआ, रायसेन में सिंचाई हेतु पानी कहीं-कहीं अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

7. **पशुओं की स्थिति.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है.

8. **चारा.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

9. **बीज.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

10. **खेतिहर श्रमिक.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं.

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 14 मार्च, 2012

जिला/तहसीलें	1.सप्ताह में हुई वर्षा:- (अ) वर्षा का माप (मि. मी.) में (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव:- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर, रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :- (1) फसल का क्षेत्रफल - (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक). 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि-सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
1	2	3	4	5	6
जिला मुरैना :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. अम्बाह	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पोरसा	. .		(2) ज्वार, सोयाबीन, राई-सरसों, गेहूँ	चारा पर्याप्त.	
3. मुरैना	. .		समान.		
4. जौरा	. .				
5. सबलगढ़	. .				
6. कैलारस	. .				
जिला श्योपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. श्योपुर	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. कराहल	. .		(2) गेहूँ, चना, जौ, सरसों, अलसी	चारा पर्याप्त.	
3. विजयपुर	. .		समान.		
जिला भिण्ड :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. अटेर	. .		4. (1) गन्ना कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. भिण्ड	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. गोहद	. .				
4. मेहगांव	. .				
5. लहार	. .				
6. मिहोना	. .				
7. रौन	. .				
जिला ग्वालियर:	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. . .
1. ग्वालियर	. .		4. (1) गन्ना, उड़द, मूँग-मोठ, तुअर,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. डबरा	. .		मूँगफली अधिक. तिल कम.	चारा पर्याप्त.	
3. भितरवार	. .		(2) . .		
4. घाटीगांव	. .				
जिला दतिया :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सेवढ़ा	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. दतिया	. .		(2) गेहूँ, जौ, चना, सरसों, मसूर, मटर,	चारा पर्याप्त.	
3. भाण्डेर	. .		अलसी समान.		
जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. शिवपुरी	. .		4. (1) गन्ना, गेहूँ, चना, मसर, जौ अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पिछोर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. खनियाधाना	. .				
4. नरवर	. .				
5. करैरा	. .				
6. कोलारस	. .				
7. पोहरी	. .				
8. बदरवास	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला अशोकनगर:	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. ..
1. मुँगावली	..		4. (1) चना, राई-सरसों, अधिक. गेहूँ, मसूर कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. ईसागढ़	..		(2) ..		
3. अशोकनगर	..				
4. चन्देरी	..				
5. शाढौरा	..				
जिला गुना :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गुना	..		4. (1) ..	6. .. चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. राघोगढ़	..		(2) गेहूँ, चना, सरसों, धना समान.		
3. बमोरी	..				
4. आरोन	..				
5. चाचौड़ा	..				
6. कुम्भराज	..				
जिला टीकमगढ़ :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पृथ्वीपुर	..		(2) राई-सरसों, अलसी, चना, मटर, मसूर, जौ, गेहूँ समान.		
3. जतारा	..				
4. टीकमगढ़	..				
5. बल्देवगढ़	..				
6. पलेरा	..				
7. ओरछा	..				
जिला छतरपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. लौण्डी	..		4. (1) गेहूँ, राई-सरसों, चना अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. गौरीहार	..		(2) ..		
3. नौगांव	..				
4. छतरपुर	..				
5. राजनगर	..				
6. बिजावर	..				
7. बड़ामलहरा	..				
8. बकस्वाहा	..				
जिला पन्ना :	मिलीमीटर	2. मसूर, अलसी, राई, अरहर की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. ..
1. अजयगढ़	..		4. (1) सोयाबीन, चना, राई-सरसों, मसूर, मटर, बाजरा, मक्का अधिक. धान, ज्वार, तुअर, उड़द, मूंग, तिल, गेहूँ, जौ, अलसी, आलू कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पन्ना	..				
3. गुन्नौर	..				
4. पवई	..				
5. शाहनगर	..		(2) ..		
जिला सागर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बीना	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. खुरई	..		(2) गेहूँ, चना, जौ, अलसी, राई-सरसों, मसूर, तिवड़ा, मटर, आलू, प्याज समान.		
3. बण्डा	..				
4. सागर	..				
5. रेहली	..				
6. देवरी	..				
7. गढ़ाकोटा	..				
8. राहतगढ़	..				
9. केसली	..				
10. मालथोन	..				
11. शाहगढ़	..				

1	2	3	4	5	6
जिला दमोह :	मिलीमीटर	2. चना, मटर, मसूर की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हटा	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. बटियागढ़	. .		(2) गेहूँ, चना, मटर, मसूर, अलसी,	चारा पर्याप्त.	
3. दमोह	1.4		राई-सरसों सुधरी हुईं.		
4. पथरिया	. .				
5. जवेरा	. .				
6. तेन्दूखेड़ा	. .				
7. पटेरा	. .				
जिला सतना :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. . .
1. रघुराजनगर	0.4		4. (1) गेहूँ, चना अधिक. तुअर कम. जौ,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. मझगवां	. .		मसूर, सरसों, अलसी समान.	चारा पर्याप्त.	
3. रामपुर-बघेलान	. .		(2) . .		
4. नागौद	. .				
5. उचेहरा	10.0				
6. अमरपाटन	. .				
7. रामनगर	. .				
8. मैहर	11.0				
9. बिरसिंहपुर	. .				
जिला रीवा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. त्यौंथर	6.0		4. (1) अलसी अधिक. मसूर कम. तुअर,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. जवा	. .		जौ, चना, गेहूँ, राई-सरसों समान.	चारा पर्याप्त.	
3. सिरमौर	3.4		(2) . .		
3. मऊगंज	. .				
4. हनुमना	4.6				
5. हजूर	6.2				
6. गुढ़	6.0				
8. मनगवां	. .				
9.रायपुरकर्चुलियान	2.0				
10. नई गढ़ी	. .				
11. सेमरिया	. .				
जिला शहडोल :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोहागपुर	. .		4. (1) तुअर, राई-सरसों, अलसी, चना, गेहूँ,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. ब्यौहारी	. .		मसूर, मटर कम.	चारा पर्याप्त.	
3. जैसिंहनगर	. .		(2) . .		
4. जैतपुर	. .				
जिला अनूपपुर :	मिलीमीटर	2. राई-सरसों, मटर, मसूर	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जैतहरी	. .	फसल की कटाई का	4. (1) अलसी, गेहूँ, चना, मटर, मसूर	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. अनूपपुर	. .	कार्य चालू है.	अधिक. अरहर, राई-सरसों समान.	चारा पर्याप्त.	
3. कोतमा	. .		(2) . .		
4. पुष्पराजगढ़	. .				
जिला उमरिया :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. . .
1. बांधवगढ़	0.5		4. (1) अरहर, गेहूँ, चना, मटर, राई-सरसों,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पाली	. .		अलसी अधिक. मसूर समान.	चारा पर्याप्त.	
3. मानपुर	. .		(2) . .		

1	2	3	4	5	6
जिला सीधी :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. . .
1. गोपदवनास	7.2		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिंहावल	4.0		(2) अलसी, राई-सरसों, मटर, मसूर,	चारा पर्याप्त.	
3. मझौली	. .		. चना, तिवड़ा, गेहूँ, जौ समान.		
4. कुसमी	5.0				
5. चुरहट	6.0				
6. रामपुरनैकिन	4.6				
जिला सिंगरौली :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. चितरंगी	. .		4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों, अलसी,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. देवसर	. .		अधिक. तुअर, मसूर, आलू, जौ,	चारा पर्याप्त.	
3. सिंगरौली	. .		मटर समान.		
			(2) . .		
जिला मन्दसौर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सुबासराटप्पा	. .		4. (1) गेहूँ, राई-सरसों, चना अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. भानपुरा	. .		ज्वार, तुअर कम.	. .	
3. मल्हारगढ़	. .		(2) . .		
4. गरोठ	. .				
5. मन्दसौर	. .				
6. सीतामऊ	. .				
7. धुन्धड़का	. .				
8. शामगढ़	. .				
9. संजीत	. .				
जिला नीमच :	मिलीमीटर	2. सोयाबीन, मक्का, उड़द,	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावद	. .	ज्वार, मूंगफली, तिल व	4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. नीमच	. .	गेहूँ, चना, राई-सरसों की	अलसी समान.	चारा पर्याप्त.	
3. मनासा	. .	कटाई कार्य चालू है.	(2) . .		
***जिला रतलाम :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. जावरा	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. आलोट	. .		(2) . .		
3. सैलाना	. .				
4. बाजना	. .				
5. पिपलौदा	. .				
6. रतलाम	. .				
जिला उज्जैन :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खाचरौद	. .		4. (1) गेहूँ, चना अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. महिदपुर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. तराना	. .				
4. घटिया	. .				
5. उज्जैन	. .				
6. बड़नगर	. .				
7. नागदा	. .				
जिला शाजापुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. मो. बड़ौदिया	. .		4. (1) गेहूँ अधिक. चना कम. मसूर,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सुसनेर	. .		आलू समान.	चारा पर्याप्त.	
3. नलखेड़ा	. .		(2) . .		
4. आगर	. .				
5. बड़ौद	. .				
6. शाजापुर	. .				
7. शुजालपुर	. .				
8. कालापीपल	. .				
9. गुलाना	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला देवास :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोनकच्छ	. .		4. (1) गेहूँ, मटर, मसूर, प्याज अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. टोंकखुर्द	. .		चना, जौ कम.	चारा पर्याप्त.	
3. देवास	. .		(2) . .		
4. बागली	. .				
5. कन्नौद	. .				
6. खातेगांव	. .				
जिला झाबुआ :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. थांदला	. .		4. (1) कपास, गेहूँ, चना अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. मेघनगर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. पेटलावद	. .				
4. झाबुआ	. .				
5. भामरा	. .				
जिला अलीराजपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जोवट	. .		4. (1) चना कम. गेहूँ समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. अलीराजपुर	. .		(2) . .	. .	
3. राणापुर	. .				
जिला धार :	मिलीमीटर	2. रबी फसल की कटाई	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बदनावर	. .	का कार्य चालू है.	4. (1) चना अधिक. गेहूँ, गन्ना कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सरदारपुर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. धार	. .				
4. कुक्षी	. .				
5. मनावर	. .				
6. धरमपुरी	. .				
7. गंधवानी	. .				
जिला इन्दौर :	मिलीमीटर	2. रबी फसल की कटाई	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. देपालपुर	. .	का कार्य चालू है.	4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सांवेर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. इन्दौर	. .				
4. महू (डॉ. अम्बेडकरनगर)	. .				
जिला प. निमाड़ :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वाह	. .		4. (1) मक्का अधिक. ज्वार, कपास,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सनावद	. .		सोयाबीन, तुअर, गेहूँ, चना कम.	चारा पर्याप्त.	
3. महेश्वर	. .		(2) . .		
4. सेगांव	. .				
5. करही	. .				
6. खरगोन	. .				
7. गोगावां	. .				
8. कसरावद	. .				
9. मुल्ठान	. .				
10. भगवानपुरा	. .				
11. भीकनगांव	. .				
12. झिरन्या	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला बड़वानी :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वानी	..		4. (1) कपास, गन्ना, गेहूँ अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. ठीकरी	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. राजपुर	..				
4. सेंधवा	..				
5. पानसेमल	..				
6. पाटी	..				
7. निवाली	..				
8. अंजड़	..				
9. बरला	..				
जिला पूर्व निमाड़ :	मिलीमीटर	2. गेहूँ की कटाई का कार्य	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खण्डवा	..	चालू है.	4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पंधाना	..		(2) गेहूँ, चना सुधरी हुई.	चारा पर्याप्त.	
3. हरसूद	..				
जिला बुरहानपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	..		4. (1) गेहूँ अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खकनार	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. नेपानगर	..				
जिला राजगढ़ :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जीरापुर	..		4. (1) गेहूँ, मसूर, मटर, राई-सरसों	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खिलचीपुर	..		अधिक. गन्ना, चना कम. तुअर	चारा पर्याप्त.	
3. राजगढ़	..		समान.		
4. ब्यावरा	..		(2) ..		
5. सारंगपुर	..				
6. नरसिंहगढ़	..				
जिला विदिशा :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. ..
1. लटेरी	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरोंज	..		(2) गेहूँ, चना, मसूर, लाख, मटर समान.	चारा पर्याप्त.	
3. कुरवाई	..				
4. बासौदा	..				
5. नटेरन	..				
6. विदिशा	..				
7. ग्यारसपुर	..				
जिला भोपाल :	मिलीमीटर	2. गेहूँ, चना, मसूर की	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
1. बैरसिया	..	कटाई का कार्य चालू है.	4. (1) गेहूँ, चना, मसूर, मटर अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. हुजूर	..		गन्ना कम.	चारा पर्याप्त.	
			(2) ..		
जिला सीहोर :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की कटाई	3. ..	5. पर्याप्त.	7. ..
1. सीहोर	..	का कार्य चालू है.	4. (1) तुअर, गन्ना अधिक. कपास कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. श्यामपुर	..		गेहूँ, चना, मसूर, मटर, अलसी,	..	
3. आष्टा	..		जौ समान.		
4. जावर	..		(2) ..		
5. इछावर	..				
6. नसरुल्लागंज	..				
7. बुधनी	..				
8. रेहटी	..				

1	2	3	4	5	6
जिला रायसेन :	मिलीमीटर	2. चना फसल की कटाई का	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. रायसेन	. .	कार्य चालू है.	4. (1) गेहूँ, मटर अधिक. चना, मसूर, तिवड़ा,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. गैरतगंज	. .		सरसों, अलसी, गन्ना कम.	चारा पर्याप्त.	
3. बेगमगंज	. .		(2) . .		
4. गोहरगंज	. .				
5. बरेली	. .				
6. सिलवानी	. .				
7. बाड़ी	. .				
8. उदयपुरा	. .				
जिला बैतूल :	मिलीमीटर	2. फसल, गेहूँ, चना, मटर,	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. भैसदेही	. .	मसूर एवं गन्ने की कटाई	4. (1) चना, मसूर अधिक. गेहूँ कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. घोड़ाडोंगरी	. .	का कार्य चालू है.	(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. शाहपुर	. .				
4. चिचोली	. .				
5. बैतूल	. .				
6. मुलताई	. .				
7. आठनेर	. .				
8. आमला	. .				
जिला होशंगाबाद :	मिलीमीटर	2. फसल चना की कटाई का	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी-मालवा	. .	कार्य चालू है.	4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. होशंगाबाद	. .		(2) गेहूँ, चना, मटर, मसूर सुधरी हुई.	चारा पर्याप्त.	
3. बाबई	. .				
4. इटारसी	. .				
5. सोहागपुर	. .				
6. पिपरिया	. .				
7. वनखेड़ी	. .				
8. पचमढ़ी	. .				
जिला हरदा :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की कटाई	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हरदा	. .	का कार्य चालू है.	4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खिड़किया	. .		(2) गेहूँ समान.	चारा पर्याप्त.	
3. टिमरनी	. .				
4. हण्डिया	. .				
5. रेहटगांव	. .				
6. सिराली	. .				
जिला जबलपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. सीहोरा	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पाटन	. .		(2) गेहूँ, अलसी, चना सुधरी हुई.	चारा पर्याप्त.	
3. जबलपुर	0.6				
4. मझौली	. .				
5. कुण्डम	. .				
जिला कटनी :	मिलीमीटर	2. मसूर, अलसी, मटर की	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. कटनी	2.0	कटाई का कार्य चालू है.	4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. रीठी	5.0		(2) गेहूँ, चना, जौ, राई-सरसों, अलसी,	चारा पर्याप्त.	
3. विजयराघवगढ़	. .		मसूर, मटर सुधरी हुई.		
4. बहोरीबंद	. .				
5. ढीमरखेड़ा	. .				
6. बरही	. .				

1	2	3	4	5	6
***जिला नरसिंहपुर :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. गाडरवारा	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. करेली	. .		(2) . .		
3. नरसिंहपुर	. .				
4. गोटेगांव	. .				
5. तेन्दूखेड़ा	. .				
जिला मण्डला :	मिलीमीटर	2. कटाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवास	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. बिछिया	. .		(2) गेहूँ, चना, मटर, मसूर, राई,	चारा पर्याप्त.	
3. नैनपुर	. .		अलसी, जौ सुधरी हुई.		
4. मण्डला	. .				
5. घुघरी	. .				
6. नारायणगंज	. .				
जिला डिण्डोरी :	मिलीमीटर	2. मसूर, मटर की कटाई का	3. . .	5. . .	7. . .
1. डिण्डोरी	. .	कार्य चालू है.	4. (1) तुअर, राई-सरसों अधिक. गेहूँ,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. शाहपुरा	. .		चना, मसूर, अलसी, मटर कम.	चारा पर्याप्त.	
			(2) . .		
जिला छिन्दवाड़ा :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. छिन्दवाड़ा	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. जुन्नारदेव	. .		(2) गेहूँ, चना, मटर, मसूर, तुअर,	चारा पर्याप्त.	
3. परासिया	. .		कपास समान.		
4. जामई (तामिया)	. .				
5. सौंसर	. .				
6. पांढुर्णा	. .				
7. अमरवाड़ा	. .				
8. चौरई	. .				
9. बिछुआ	. .				
10. हर्रई	. .				
11. मोहखेड़ा	. .				
जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2. रबी फसल की कटाई	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. सिवनी	. .	का कार्य चालू है.	4. (1) गेहूँ, अलसी अधिक. चना, मटर,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. केवलारी	. .		मसूर, तिवड़ा, राई-सरसों कम.	चारा पर्याप्त.	
3. लखनादौन	. .		(2) . .		
4. बरघाट	. .				
5. कुरई	. .				
6. घंसौर	. .				
7. धनोरा	. .				
8. छपारा					
जिला बालाघाट :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बालाघाट	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. लाँजी	. .		(2) गेहूँ, चना, अलसी, मटर, लाख,	चारा पर्याप्त.	
3. बैहर	. .		तिवड़ा समान.		
4. वारासिवनी	. .				
5. कटंगी	. .				
6. किरनापुर	. .				

टीप.— *जिला रतलाम, नरसिंहपुर से पत्रक अप्राप्त रहे हैं.

राजीव रंजन,
आयुक्त,
भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.

(273)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2012.